

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

RINGLE MARK STREET

**सं**. 382]

नई बिल्लो, मुझवार, नवम्बर 5, 1993/कातिक 14, 1915

No. 382] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 5, 1993/KARTIKA 14, 1915

कार्मिक, लोक ग्रिकायत तथा पेंझन मंत्रालय (कार्थिक और प्रज्ञिक्षण विभाम) अधिभूष्त्रना नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 1993

मा.का.नि. 689(अ).--ताष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक और अनुच्छेद 148 के खण्ड (5) डारा प्रदत्न शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय नेखानराक्षा और लेवा विभाग में सेवारत व्यक्तियों के संबंध में नियंत्रक-महा-लेखापरीक्षक में परामर्श करने के पश्चात् ओर केन्द्रीय सिविल सेवा (मैवा सगमों की मान्यता) नियम, 1959 को उन बातों के सिवाय प्रधिक्कांत करने हुए, जिन्हें ऐंगे प्रधिक्रमण में पहले किया गया है या करने का लोग निगा गया है, निम्नखियित नियम बनाते हैं, ग्रथीत :--

 संशिग्त नाम और प्रारम्भ : (1) इन गियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय सिथिल गेवा (मेवा संगमों की मान्यता) नियम, 1993 है।

(2) ये राजपत्न में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे। 2. परिभाषा : इन नियमो में, जब तक कि सदर्भ ने ग्रम्यथा प्रपेक्षित न हो,——

- (क) "मरकार" से केन्द्रीय सरकार ग्रभिप्रेत है।
- (ख) ''सरफारी सेवक'' से ऐसा कोई व्यक्ति म्रमिप्रेत है जिसे केन्द्रीय सिविल सेवा (म्राचरण) नियम, 1964 लागु होता है।

3. लागू होना: ये नियम सभी मरकारी सेवकों के, जिसके ग्रन्तर्गत रक्षा सेवा में के सिविलियन मरकारी सेवक भी ग्राते हैं, सेवा संगमों को लागू होंगें किन्तु ये रेल मंत्रालय के औधोंगिक कर्मचारियों और रक्षा मंत्रालय के रक्षा प्रतिष्ठा-पनों में नियोजित कर्मकारो को, जिनके लिए मान्यता के पथक नियम विद्यमान हैं, लाग नहों होगे।

4. पहले से मान्यता प्राप्त सेवा संगम :

ऐमा कोई सेवा संगम या परिसंघ, जिसे इत तिक्षमों के प्रारंश में पहले सरकार ढारा मान्यता दी गई है और जिनकी बाबत मान्यता ऐसे प्रारम्भ पर ग्रस्तित्व में हैं, ऐसे प्रारम्भ से एक वर्ष की अवधि के लिए या उस तारीख तक, जिमको मान्यता वापस ले ली जाती है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, इस प्रकार मान्यता प्राप्त बना रहेगा। 5 सेवा सगमां की मान्यता के लिए शर्ते :--

ऐसे सेवा संगम को जो निम्नलिखित शर्न पूरी करता है, सरकार ढारा मान्यता दी जा सकेगी ; प्रर्थात :--

(क) सेवा संगम की मान्यता के लिए सरकार को दिए गए ग्रावेदन में मंगम के जापन, मगिदास, संगम की उप विदियो पदाधिकारियों के नाम कुल सदस्य संख्याऔर कोई ग्रन्थ जात-कारी जो सरकार ढारा अपेक्षित हो, ग्रन्नॉवप्ट होगी ;

(ख) सेवा संगम का गठन मुख्य रूप से इसके सदस्यों के मामान्य हिनों की ग्रभिवृद्धि करने के उद्देश्य ये किया गया है ;

(ग) सेवा सगम की सदस्थता ऐसे सरकारी सेवकां के सुभिग्न प्रवर्ग के लिए निद्वधित की गई है जिनका सामान्य हित है ओर ऐसे सभी सरकारी सेवक सेवा संगम की सदस्थता के लिए पान्न है ;

- (घ) (1) संगम किसी प्रवर्ग के कर्मचारियों की कुल संख्या के न्यूनतम 35 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता हो परन्तु जहां केवत्र एक ही सगम है जिमकी 35 प्रतिशत से प्रधिक सदस्यता हे बहा दूसरो सर्वाधिक सदस्यता वाले अन्य सगम को जिसकी सर्वाधिक सदस्यता 35 प्रतिशत ने त्यून है, मान्यता प्रदान की जा सकीगी यदि उनका कम से कम सदस्यता 15 प्रतिशत है।
- (ii) सरकारी मेथक की सदस्यता जिस प्रवर्ग का वह है उसमे न रहने में स्वतः ही समाग्त हो जाएगी ;

(छ) सरकारी सेवक जो सेवा मे हैं जेवा मंगमो के सदस्य या पदाधिकारी होंगे ;

(च) सेवा संगम का गठन किसी जाति, जनजाति या धार्मिक सम्प्रदायों या ऐसी जाति, जनजाति या धार्मिक सम्प्रदायों के भीतर किसी समुह या यर्ग के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए या उसके आधार पर नहीं किया जाएगा ;

(छ) सेवा संगम की कार्यकारिणी की नियुक्ति केवल सदम्यों में में की गई है ; और

(ज) सेवा संगम निधि में घनन्य रूप में मदम्यों के अंशदान और सरकार द्वारा दिए गए अनुदान, यदि कोई हो, आते हैं और जो केवल सेवा संगम के उद्देश्यों को प्रग्रगर करने के लिए उपयोजित किए जाने है।

6. शर्तें जिनके अधीन मान्यता बनें। रहेगीं :---

इन नियमों के ब्रधीन मान्यना प्राप्त प्रत्येक संगम निम्त-लिखिन शतौं का ग्रनुपालन करेगा ; ग्रर्थाल् :---

(क) सेवा संगम, सेवा संगम के सदस्यों के सामान्य हित के मामलों से संबंधित विषयों के ग्रलावा कोई म्रभ्यावेदन या शिष्टमंडल नही भेजेगा ;

(ख) सेवा संगम सरकारी सेवकों के वैथक्तिक सेवा मामलों से संबधित हेतु को को न ही अपनाएगा और न ही समर्थन देगा ;

(ग) सेवा संगम कोई राजनैतिक निधि नहीं रखेगा या उसे किसी राजनैतिक दल या ऐसे दल के किसी मदम्य के किसी सदस्य के विचारो का प्रचार करने के लिए प्रपनी सेवाएं नही देगा ; (घ) सेवा संगम द्वारा सभी अभ्यावेदन उचित माध्यम से प्रस्तुत किए जायेंगे और सरकार के सचिव/संगठन या विभाग या कार्यालय के प्रधान को संगांधित किए जाएंगे ;

(ङ) सेवा सगम के सदस्थों और पदाधिकारियों की एक सूची और उपके निगमों की एक प्रधतन प्रति और लेखाओं का संपरीक्षित विवरण सरकार को प्रति बर्भ साधारण वाफ्तिक बैठक के पण्चात उचित माध्यम से भेजा जाएगा तिनने कि बढ़ प्रखेक वर्ष पहली जुलाई के पूर्व सरकार के पास पहुंच सके।

(च) सेवा संगम म्रपने मंबिधान/उप विधियों के सभी उपबंधों का पालन और म्रनपालन करेगा ;

- (छ) इन नियमों के झओन सेवा सगम को मान्यता के पण्चात् उसके संविधान उप्त-विधि में कोई संसोधत केंबल सरफार के पूर्वानुमोदन में हा किया जापेगा ;
- (ज) सेवा संगम लरुकार के पूर्वानुमोइन के दिवा ठाई नियतकालिक पत्निका मैगज्ञीन या बुवेटिन शुरू या प्रकाशित नहीं करेगा;
- (झ) मेवा मगम কিণী निप्रतकालिक পরি কা, ब्*लेटिन* का प्रकाशन मैंगजोत या ৰ্ব কণ্ सरकार ढ़ारा इस ग्राधार पर ऐसा करने का सिंदे ग दिया जाता है कि उमका प्रकाशन केन्द्रीय सरकार, किंगो राज्य संग्कार या किंगो सरकारी प्राजिकारी के हिनों पर या सरकारो मेत्रकों और सरकार या किशो संग्कारो प्राधिकारों के बोच या भारत मेरकार और किसी विदेशों। राज्य की सरकार के बाच बच्छे संबंधों पर प्रतिकृत प्रभाव डालने वाला है,
- (ञा) सेवा संगम, सरकार के माध्यम के सिवाध किमो विदेशो प्राधिकारो को न ता कोई पत्र विद्वेगा या न ही कोई पक्ष-व्यवहार करेगा जिसे सरकार को विचारित करने का प्रधिकार होगा;
- (ट) मैवा संगम कोई ऐमा कर्ष्य नही करेगा या ऐमा कार्य करने में सहाधता नहीं करेगा जो यदि सरकारो भेवक द्वारा किया जाता तो उसमे केन्द्रीय सिविल मेवा (ग्राचरण) तियम, 1964 के किसा उपबंध का उल्लंघन होता है; और
- (ठ) सेवा संगम या उस की ओर से किसी पदाधिकारो द्वारा सरकार या किसी सरकारो प्राजिकारो को संबोधित पत्नों में प्रसम्मानजनक या ग्रनुविन भाषा का प्रयोग नहीं किया जायेगा।

7 मदस्यता का सत्यापन :

(1) सेवा संगम की मान्यता के प्रयोजन के लिए सदस्यता का मन्यापन ऐसे अंतरालो पर वेतन पत्रकों में चैक-पढ़ति ढ़ारा और ऎसी रीति में किया जायेगा जैमो सरकार प्रादेश ढारा विहिन करे।

### **∦**atr (I-−ars ((i)]

3

-----(2) सरकार, किया भा समय, सदस्पत। के विशेष सन्यापन के लिये प्रादेग कर सकेगी, यदि जात्र कराने के पण्चात उसका यह राज है कि सेना भगन के लियस 5 के खण्ड (घ) के 'उपख़र (1) के अधीन अपोक्षित सदम्यना नही रह गई है।

• ·-- . ·-- ·-- ••

भाग्यता वापम लेताः

यरि, मरकार क. सम में, इन निर्मा के सतीन म्हान्यता प्राप्त कोई सेवा सगम, नियम 5 या नियम 6 या निपम 7 में उपवर्णित णती में ने किसी का अनुपालन करने में प्रकृपत रहता है ना मण्कार, सेवा अपनः मामला इम्तृत करने का ग्रवमर देने भएम को के पृष्टवात हैमें मेता भगम का दो गई मान्यता वापस ले मके गि।

### 9. ग्रिविनंकरण :

सरकाल, इन निजमों जे ने किसी भी नियम की अरेक्षाओं का उस सामा तक आर ऐसा शती के प्रधीन रहते हुए, अंसी कि वह किभी सेवा सगम के बारे से उचित समझे, अभिमुक्ति प्रदान कर मकेगी या शिथिल कर मकेई ।

# () निर्मचत्रः

रुदि इन निभ्मों के किसा आपक्ष के निर्वचन के जाने में कॉर्ड प्रका उद्यत होता है था मोन्सता को मतो को भुग करन के संबंध में कोई विवाद है तो वह सरकार को जिदेशित किया जायेग। जिसको उस पर विनिध्चय अनिम होता।

> [म. 2/10/80-जे.सो.ए. (खण्ड TV)] जे एम, माथुर, संयुक्त सचिव

# MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC **GRIEVANCES & PENSIONS**

## (Department of Personnel & Training)

# NOTIFICATION

### New Delhi, the 5th November, 1993

G.S.R. 689(E) .- In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 and clause (5) of article 148 of the Constitution, after consultation with the Comptroller and Auditor General in relation to persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, and in supersession of the Central Civil Services (Recognition of Service Associations) Rules, 1959 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules, namely :

1. Short title and commencement : (1) These rules may be called the Central Civil Services (Recognition of Se vice Associations) Rules, 1993.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definition : In these rules, unless the context otherwise requires, ----

---

- (a) "Government" means the Central Government.
- (b) "Government servant" means any person to whom the Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964, apply.

3. Application : These tules shall apply to Service Associations of all Government servants including civilian Government servants in the Defence Services but shall not apply to industrial employees of the Ministry of Railways and workers employed in Defence Installations of Ministry of Defence for whom separate Rules of Recognition exist.

4. Service Associations already recognised : A Service Association or a Federation which has been recognised by the Government before the commencement of these rules and in respect of which the recognition is subsisting at such commencement, shall continue to be so recognised for a period of one year from such commencement or till the date on which the recognition is withdrawn, whichever is earlier.

5. Conditions for recognition of Service Associations : A Service Association which fulfills the foll lowing conditions may be recognised by the Government, namely :-

- (a) An application for recognition of Service Association has been made to the Government containing Memorandum of Association, Constitution, Bye-laws of the Association, Names of Office-Beaters, total n.embership and any other information as may be required by the Government;
- (b) the Service Association has been formed primarily with the object of promoting ine common service interest of its members;
- (c) membership of the Service Association has been restricted to a distinct category of of Government servants having common interest, all such Government servants' being eligible for membership of the Service Association;
- (d) (i) The Association represents minimum 35 per cent of total number of a category of employees provided that where there is only one Association which commands more than 35 per cent membership, another Association with second highest membership, although less than 35 per cent may be recognised if it commands atleast 15 per cent membership;
  - (ii) The membership of the Government servant shall be automatically discontinued on his ceasing to belong to such category;
- (e) Government employees who are in service shall be members or office bearets of the Service Association:

(f) the Service Association shall not be formed to represent the interests, or on the basis, of any caste, tribe or religious denomination or of any group within or section of such caste, tribe or religious denomination;

\_==

- - -

- (g) the Executive of the Service Association has been appointed from amongst the neurbers. only; and
- (h) the funds of the Service Association consist exclusively of subscriptions from members and grants, if any, made by the Government, and are applied only for the furtherance of the objects of the Service Association.

6. Conditions subject to which recognition is continued : Every Service Association recognised under these Rules shall comply with the following conditions, namely :-

- (a) the Service Association shall not send any representation or deputation except in connection with a matter which is of common interest to members of the Service Association:
- (b) the Service Association shall not espouse or support the cause of individual Government Servants relating to service matters;
- (c) the Service Association shall not maintain any political fund or lend itself to the propagation of the views of any political party or a member of such party;
- (d) all representations by the Service Association shall be submitted through proper channel and shall be addressed to the Secretary to the Government Head of the Organisation or Head of the Department or Office:
- (e) a list of members and office bearers and upto-date copy of the rules and an audited statement of accounts of the Service Association shall be furnished to the Gevernment annually through proper channel after the general annual meeting so as to reach the Government before the 1st day of July each year;
- (f) the Service Assocition shall abide by, and comply with all the provisions of its constilution bye-laws;
- (g) any amendment in the constitution bye-laws of the Service Associations, after its recognition under these Rules, shall be made only with the prior approval of the Government;
- (b) the Service Association shall not start or publish any periodi al, magazine or bulletin without the previous approval of the Government:

(i) the Service Association shall cease to publish any periodical, magazine or built in, it di-rected by the Government to do 30, on the ground that the publication thereef is prejudicial to the interests of the Central Government, the Government of a sy State or any Government autority or to good relations between Government servents and the Government or any Government authority, or to good relations between the Covernment of India and the Ocvernment of a foreign State;

- \_\_\_\_

- (j) the service Association shall not address any communication to, or enter into correspondence with, a foreign authority except through the Government which shall have the right to withhold it;
- (k) the Service Association shall not do any act or assist in the doing of any act which, if done by a Government servant, would contravene any of the provisions of the Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964; and
- (1) Communications addressed by the Service Association or by any office-bearer on its behalf to the Government or a Government authority shall not contain any disrespectful or improper language.

7. Verification of Membership : (1) The verifica-tion of membership for the purpose of recognition of a Service Association shall be done by the Check-Off-System in pay-rolls at such intervals and in such manner as the Government may by order prescribe.

(2) The Government may, at any time, order a special verification of membership if it is of the opinion, after an enquiry, that the Service Association does not have the membership required under subclause (i) of clause (d) of rule 5.

8. Withdrawal of Recognition : If, in the opinion of the Government, a Service Association recognised under these rules has failed to comply with any of the conditions set out in rule 5 or rule 6 or rule 7 the Government may after giving an opportunity to the Service Association to present its case, withdraw the recognition accorded to such Association.

9. Relavation : The Government may dispense with or relax the requirements of any of these rules to such extent and subject to such conditions as it may deem fit in regard to any Service Association,

10. Interpretation : If any question arises as to the interpretation of any of the provisions of these rules or if there is any dispute relating to fulfilment of conditions for recognition it shall be referred to the Government, whose decision thereon shall be final.

> [F. No. 2]10[80-JCA (Vol IV)] J. S. MATHUR, It. Seey.

> > -----

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delbi-110064 and Fublished by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993